"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

# छत्तीसगढ़ राजपत्र

## (असाधारण)

## प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 141 ] रायपुर, बुधवार, दिनांक 6 अप्रैल 2016— चैत्र 17, शक 1938

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

### अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–19/2016/वाक/पांच (33). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क. ए–3–28–2000–वि.क.–पांच (35), दिनांक 13–4–2000; एफ–10/20/2003/वाक/पांच (39), दिनांक 1–5–2003 तथा एफ–10/70/2003/ वाक/पांच (93), दिनांक 6–10–2003 में, कर के भुगतान से छूट की कालावधि के संबंध में, निम्नलिखित और संशोधन करती है, जो दिनांक 1–4–2016 से प्रभावी होगी, अर्थात् :–

### संशोधन

उक्त अधिसूचनाओं में,–

अंक "2016" के स्थान पर, अंक "2017" प्रतिस्थापित किया जाये ।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ–10–19/2016/वाक/पांच (33). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–19/2016/वाक/पांच (33) दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION
:

No. F-10-19/2016/CT/V(33). — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, makes the following amendment in Notification Nos. A-3/28/2000/S.T./V (33), dated 13-4-2000, F-10/20/2003/CT/V (39), dated 1-5-2003 and F-10/70/2003/CT/V (93), 6-10-2003, with effect from 1-4-2016, namely:—

AMENDMENT

In the said notifications, —

For the figure "2016", wherever they occur, the figure "2017" shall be substituted, respectively.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

## अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–19/2016/वाक/पांच (34). — छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिश्ट निर्बन्धनों तथा शर्तों के अध्यधीन, दिनांक 1–4–2016 से 31–3–2017 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से पूर्णतः छूट प्रदान करती है, अर्थात् :–

## अनुसूची

| अ. क्र. | माल का वर्ग | निर्बन्धन तथा शर्तें |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 14 के खण्ड (चार) के प्रवर्ग (चार), (पांच) में यथा विनिर्दिष्ट लोहा एवं इस्पात तथा प्रवर्ग (छः) में वर्णित हूप्स एवं स्ट्रिप्स | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल, छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित औद्योगिक इकाई द्वारा निर्मित हो. |
| 2. | एच.डी.पी.ई./पी.पी. बैग्स | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा ऐसे अन्य पंजीकृत व्यापारी से क्रय किया जाए, जिसके द्वारा उक्त माल छत्तीसगढ़ राज्य में एच.डी.पी.ई./पी.पी. कणों से निर्मित किया गया हो. |
| 3. | जूट बैग तथा जूट रस्सी | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा ऐसे अन्य पंजीकृत व्यापारी से, उक्त अधिनियम के अधीन कर के भुगतान करने के पश्चात्, क्रय किया जाए. |
| 4. | नारियल | – |
| 5. | सिलाई मशीन | – |
| 6. | आटा, मैदा, सूजी तथा चोकर | – |
| 7. | छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित किसी भी उद्योग द्वारा निर्मित माल, किंतु कोयला तथा लौह अयस्क को छोड़कर | जब लघु स्तरीय औद्योगिक उपक्रम या सूक्ष्म उद्यम या ऐसा लघु उद्यम जहां संयंत्र और मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रुपये से अधिक न हो, द्वारा निर्माण की प्रक्रिया में कच्चा माल के रूप में उपभोग या उपयोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |
| 8. | अनुसूची–2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट माल | जब अगरबत्ती निर्माण में उपयोग या उपभोग हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |
| 9. | एविएशन स्पिरिट तथा एविएशन टरबाईन फ्यूल | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा विक्रय के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |

| | | |
|---|---|---|
| 10. | एवीएशन स्पिरिट, एवीएशन टरबाईन फ्यूल तथा फायर–ब्रिक्स | जब कॉलम (2) में विनिर्दिश्ट माल, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा किसी अन्य पंजीकृत व्यापारी से, उक्त अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के पश्चात् स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग के लिए क्रय किया गया हो. |
| 11. | फ्लाई–ऐश | जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर किसी स्थानीय क्षेत्र से प्रवेश कराया गया हो. |
| 12. | धान तथा चावल | – |
| 13. | हेसियन क्लॉथ | – |
| 14. | सभी प्रकार के मोटरयानों के तथा ट्रैक्टर एवं ट्रेलर्स के और पशु द्वारा खीचे जाने वाले यानों के टायर, ट्यूब तथा फ्लेप | – |
| 15. | ट्रैक्टर सहित सभी प्रकार के मोटरयानों के स्पेअर पार्ट्स | – |
| 16. | मक्का, कनकी, मछली, तेल निकला हुआ कोढ़ा, शेल ग्रिड, फीड सप्लिमेन्ट्स (दवाईयां) तथा खली | जब स्थानीय क्षेत्र में कुक्कुट पालकों द्वारा उनके कुक्कुट फार्म में उपभोग या कुक्कुट आहार के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग के लिए प्रवेश कराया गया हो. |
| 17. | खुली चाय | – |
| 18. | जूट, जो केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 14 के खण्ड (पांच) में विनिर्दिष्ट है | जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग के लिए प्रवेश कराया गया हो. |
| 19. | वनस्पति तथा खाद्य तेल, हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति तेल एवं घी | जब छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर एक स्थानीय क्षेत्र से अन्य किसी स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |
| 20. | किराना सामान | – |
| 21. | बबूल बीज | जब स्थानीय क्षेत्र में निर्माण की प्रक्रिया में कच्चे माल के रूप में उपभोग या उपयोग के लिए प्रवेश कराया गया हो. |
| 22. | गुड़ | – |
| 23. | अनुसूची–2 तथा 3 में विनिर्दिष्ट माल | जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा फेरो–एलायज के निर्माण में उपयोग के लिये प्रवेश कराया गया हो. |
| 24. | शक्ति करघों पर विनिर्मित अप्रसंस्कृत कपड़ा | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा उसका विनिर्माण किसी स्थानीय क्षेत्र में किया गया हो तथा तत्पश्चात् प्रसंस्करण हेतु उसे किसी अन्य स्थानीय क्षेत्र में इस दृष्टि से प्रवेश कराया गया हो जिससे कि प्रसंस्कृत कपड़ा प्राप्त किया जा सके. |
| 25. | सिल्क यार्न 22.00 डेनियर्स तक | – |
| 26. | सूती तथा ऊनी खादी का कपड़ा | – |
| 27. | अखबारी कागज | – |
| 28. | पका अन्न के निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल | जब स्थानीय क्षेत्र में छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत ऐसे व्यापारी द्वारा प्रवेश कराया गया हो, जिसे उक्त |

| | | |
|---|---|---|
| | | अधिनियम की धारा 10 की उप–धारा (2) के अंतर्गत कर के प्रशमन की अनुज्ञा दी गई हो. |
| 29. | सोना तथा चांदी की वस्तुएं जिनमें सिक्के, बुलियन तथा स्पेसी सम्मिलित है | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा सोना तथा चांदी की वस्तुएं, जिनमें सिक्के, बुलियन तथा स्पेसी सम्मिलित हैं, में संपरिवर्तन हेतु प्रवेश कराया गया हो. |
| 30. | अनुसूची–2 के सरल क्रमांक 27 की प्रविष्टि (अ) में वर्णित फ्लाई एश ब्रिक्स | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर निर्मित किया गया है. |
| 31. | समस्त उत्पाद, किन्तु लाईमस्टोन को छोड़कर | जब छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित उद्यम द्वारा निर्मित हो, जहां संयंत्र एवं मशीनरी में विनिधान पांच करोड़ रूपए से अधिक न हो. |
| 32. | स्टील स्ट्रिप एवं स्टील काईल | जब इसका उपयोग, स्टील पाईप के निर्माण में कच्चे माल के रूप में हो. |
| 33. | पैकिंग सामग्री | जब इसका, उपयोग अगरबत्ती की पैकिंग के रूप में हो. |
| 34. | निःशक्तजनों के उपयोग के लिये मोटर यान | जब ऐसे मोटरयान का प्रवेश, निःशक्तजनों द्वारा स्वयं के उपयोग हेतु राज्य के बाहर से किया जाये. |
| 35. | सौर ऊर्जा के उत्पादन हेतु प्रयुक्त होने वाले उपकरण एवं इसके संघटक (कम्पोनेंट) | – |
| 36. | पेपर | जब ऐसे माल का क्रय, छत्तीसगढ़ पाठ्य पुस्तक निगम द्वारा पुस्तकों के प्रकाशन में उपयोग के लिये किया जाये. |
| 37. | केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (1956 का सं. 74) की धारा 14 के खंड (चार) के प्रवर्ग (दो) में यथा विनिर्दिष्ट इंगट तथा बिलेट्स | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल राज्य में निर्मित हो. |
| 38. | सोयाबीन | – |
| 39. | सोयाबीन तेल के निर्माण के लिये प्रयुक्त प्लांट, मशीनरी तथा स्पेयर पार्ट्स | – |
| 40. | आयरन ओर पैलेट एवं बिलेट | 1. जब ऐसे माल का प्रवेश, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत लघु अथवा मध्यम औद्योगिक ईकाई के द्वारा स्थानीय क्षेत्र में कराया जाए।<br>**स्पष्टीकरण**–(क) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लघु अथवा मध्यम औद्योगिक ईकाई से अभिप्रेत है ऐसी विद्यमान इकाई जिसमें दिनांक 31–3–2014 तक तथा 1–4–2014 या इसके पश्चात् उत्पादन प्रारंभ करने वाली इकाई का उत्पादन दिनांक तक, संयंत्र एवं मशीनरी में कुल विनिधान अवक्षयण के पूर्व रू. 10 करोड़ से अधिक न हो;<br>(ख) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में विनिधान की संगणना, भारत शासन के लघु उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का.आ. 1722(अ) दिनांक 5 अक्टूबर, 2006 के अनुसार की जायेगी।<br>2. ऐसे माल का प्रवेश, आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु कराया जाये तथा निर्मित उत्पाद का विक्रय, राज्य में अथवा |

| | | |
|---|---|---|
| | | अंतर–राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में, किया जाये. |
| 41. | जस्ता | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत औद्योगिक इकाई द्वारा पाईप की गेल्वेनाईजिंग हेतु कच्चे माल के रूप में उपयोग एवं उपभोग के लिए स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |
| 42. | अनुसूची–तीन की प्रविष्टि क्रमांक 3 में यथा विनिर्दिष्ट राईस ब्रान | — |
| 43. | अनुसूची–दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा सुपरस्ट्रक्चर सहित बायो–टॉयलेट तथा इसके संघटक (कम्पोनेंट) के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग या उपभोग के लिए, छत्तीसगढ़ राज्य में विक्रय हेतु स्थानीय क्षेत्र में प्रवेश कराया गया हो. |
| 44. | अनुसूची–दो एवं तीन में विनिर्दिष्ट माल | जब छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा भारत सरकार के आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा बनाई गई "अफोर्डेबल–हाऊसिंग–इन–पार्टनरशिप योजना के दिशा–निर्देश दिसम्बर, 2013" के अधीन, रिहायशी आवास निर्माण परियोजना में प्रयुक्त होने वाले प्रीकास्ट, प्रीफेब्रीकेटेड या मोनोलिथिक कॉन्क्रीट उत्पाद के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग अथवा उपभोग हेतु प्रवेश कराया गया हो. |

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ–10–19/2016/वाक/पांच (34). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–19/2016/वाक/पांच (34) दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F-10-19/2016/CT/V(34). — In exercise of the powers conferred by Section 10 of the Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, subject to the restriction and conditions specified in column (3) of the Schedule below, exempts the class of goods specified in column (2) of the said Schedule from payment of tax in whole for the period from 1-4-2016 to 31-3-2017, namely: –

SCHEDULE

| S. No. | Class of Goods | Restrictions and Conditions |
|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Iron and Steel as specified in categories (iv), (v), and hoops and strips falling in category (vi), of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) | When the goods specified in column (2) are manufactured by an industrial unit situated in the State of Chhattisgarh. |
| 2. | H.D.P.E/P.P. bags | When the goods specified in column (2) are purchased by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) from another such registered dealer, who has manufactured the said goods from H.D.P.E./P.P. granules in the State of Chhattisgarh. |
| 3. | Jute bag and jute twine | When the goods specified in column (2) are purchased by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) from another such registered dealer after payment of tax under the said Act. |
| 4. | Coconut | - |
| 5. | Sewing machine | - |
| 6. | Atta, maida, semolina (sooji) and wheat bran | - |
| 7. | Goods manufactured by any industries situated in the State of Chhattisgarh, except coal and iron ore | When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture by a small scale industrial undertaking or a micro-enterprise or such small enterprise where the investment in plant and machinery does not exceed five crore Rupees. |
| 8. | Goods specified in Schedule-II and III | When entered into a local area for use or consumption in the manufacture of agarbatti. |
| 9. | Aviation spirit and aviation turbine fuel | When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for sale. |
| 10. | Aviation spirit, aviation turbine fuel and fire-bricks | When the goods specified in column (2) are purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) from another registered dealer after payment of tax under the said Act for consumption or use in a local area. |

| | | |
|---|---|---|
| 11. | Fly-ash | When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) from any local area within the State of Chhattisgarh. |
| 12. | Paddy and rice | - |
| 13. | Hessian cloth | - |
| 14. | Tyres, tubes and flaps of motor vehicles of all kinds, and of tractors and trailers, and of animal-drawn vehicles | - |
| 15. | Spare parts of all kinds of motor vehicles including tractor | - |
| 16. | Maize, broken rice, fish, shell grid, feed supplements (medicines) and de-oiled cake | When entered into a local area by poultry farmers for use as raw material in the manufacture of poultry feed or consumption in their poultry farm. |
| 17. | Loose tea | - |
| 18. | Jute as specified in clause (v) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) | When entered into a local area for consumption or use as raw material in the process of manufacture. |
| 19. | Vegetable and edible oil, hydrogenated vegetable oil and ghee | When entered into a local area from any other local area within the State of Chhattisgarh. |
| 20. | Kirana goods | - |
| 21. | Babool seed | When entered into a local area for consumption or use a raw material in the process of manufacture. |
| 22. | Jaggery | - |
| 23. | Goods specified in Schedule-II and III | When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), for use in the manufacture of ferro-alloys. |
| 24. | Un-processed cloth manufactured in power loom | When manufactured by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), in a local area and subsequently entered into another local area for processing so as to obtain processed cloth. |
| 25. | Silk yarn up to 22.00 deniers | - |
| 26. | Cotton and woolen khadi cloth | - |
| 27. | Newsprint | - |
| 28. | Raw material used in the manufacture of cooked food | When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) who has been granted permission for composition of tax under sub-section (2) of Section 10 of the said Act. |
| 29. | Articles of gold and silver including coins, bullion and specie | When entered into a local area by a registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for conversion into articles of gold and silver including coins, bullion and specie. |
| 30. | Fly-ash bricks specified in entry (a) of serial no. 27 of Schedule II | When the goods specified in column (2) are manufactured within the State of Chhattisgarh. |

| | | |
|---|---|---|
| 31. | All Product excluding lime stone | When manufactured by enterprises established in the State of Chhattisgarh, where the investment in plant and machinery does not exceed five crore rupees. |
| 32. | Steel strip and steel coil | When used in manufacturing of steel pipe as raw material. |
| 33. | Packing material | When used for packing of agarbatti. |
| 34. | Motor vehicle for use of disabled person | When such motor vehicle is entered from outside the State by disabled person for his own use. |
| 35. | Devices and equipments used in generation of solar energy | - |
| 36. | Paper | When such goods are purchased by Chhattisgarh Pathya Pustak Nigam for use in publication of books. |
| 37. | Ingot and billet as specified in category (ii) of clause (iv) of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956) | When the goods specified in column (2) are manufactured in the State. |
| 38. | Soyabean | - |
| 39. | Plant, machinery and spare parts for use in manufacture of soyabean oil | - |
| 40. | Iron ore pellet and billet | 1. When such goods are entered into a loal area by a small or medium scale industrial unit registered under Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005).<br><br>**Explanation**—(a) for the purpose of this notification, medium scale industrial unit mean such existing unit in which upto 31-3-2014, and industrial unit commencing production on or after 1-4-2014 upto date of production, total investment in plant and machinery before depreciation does not exceed Rs. 10 crores;<br><br>(b) for the purpose of this notification investment in plant and machinery shall be calculated as per notification no. S.O. 1722(E) dated 5th October, 2006 of Ministry of Small Scale Industries, Government of India.<br><br>2. Such goods are entered for use as raw material in the manufacture of iron and steel and manufactured product is sold in the State or in the course of interstate trade and commerce or in the course of export out of the territory of India. |
| 41. | Zinc | When entered into a local area by a industrial unit registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use or consumption as raw material in galvanizing of pipe. |
| 42. | Rice bran as specified in entry No. 3 of Schedule-III | - |

| | | |
|---|---|---|
| 43. | Goods specified in Schedule-II and III | When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use or consumption as raw material in the manufacture of bio-toilet with superstructure and its components for sale in the State of Chhattisgarh. |
| 44. | Goods specified in Schedule-II and III | When entered into a local area by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use or consumption as raw material in the manufacture of precast, prefabricated, monolithic concrete product used in construction of residential housing project under the "Scheme of Residential Housing in partnership guidelines of December 2013" farmed by the Ministry of Housing and Urban Poverty Alleviation, Government of India . |

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

## अधिसूचना

क्रमांक एफ–10–19/2016/वाक/पांच (35). —– छत्तीसगढ़ स्थानीय क्षेत्र में माल के प्रवेश पर कर अधिनियम, 1976 (क्र. 52 सन् 1976) की धारा 10 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को, उक्त अनुसूची के कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, उक्त अनुसूची के कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बन्धन तथा शर्तों के अध्यधीन, दिनांक 1–4–2016 से 31–3–2017 तक की अवधि के लिए, कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है, अर्थात् :–

## अनुसूची

| अ.क्र. | माल का वर्ग | छूट की सीमा | निर्बन्धन तथा शर्तें |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | केन बास्केट, ड्रिल रॉड तथा पी.वी.सी. केसिंग पाईप | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए | जब कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अंतर्गत पंजीकृत व्यापारी द्वारा किसी अन्य पंजीकृत व्यापारी से उक्त अधिनियम के अधीन कर का भुगतान करने के पश्चात् स्थानीय क्षेत्र में उपभोग या उपयोग के लिए क्रय किया गया हो. |
| 2. | हाइड्रोजेनेटेड वनस्पति तेल जो भारत में निर्मित न हो | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाए | — |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 3. | लौह अयस्क तथा कोयला | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाए। | जब ऐसे माल का क्रय छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु राज्य के भीतर पंजीकृत व्यापारी से किया जाये तथा ऐसे निर्मित माल का विक्रय राज्य के अंदर अथवा अंतर–राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाये. |
| 4. | कोयला | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाए | जब ऐसे माल का क्रय, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चे माल के रूप में उपयोग हेतु राज्य के भीतर से क्रय, नीचे संलग्न प्ररूप में घोषणा पत्र के विरूद्ध किया जाये तथा ऐसे निर्मित माल का विक्रय राज्य के अंदर अथवा अंतर–राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाये. |
| 5. | लौह अयस्क, पिग आयरन एवं स्टील स्क्रैप | अंशतः इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाए | जब ऐसे माल का क्रय, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा राज्य के बाहर से आयरन एवं स्टील के निर्माण में उपयोग के लिये किया जाये तथा ऐसे निर्मित माल का विक्रय राज्य के अंदर अथवा अंतर–राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाये. |
| 6. | आयरन ओर पैलेट | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाए | जब ऐसे माल का क्रय, छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा आयरन एवं स्टील के निर्माण में उपयोग हेतु किया जाये तथा ऐसे निर्मित माल का विक्रय राज्य के अंदर अथवा अंतर–राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जाये. |
| 7. | स्टील ट्यूब | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 0.5 प्रतिशत हो जाए | जब ऐसे माल का निर्माण छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीकृत व्यापारी द्वारा किया गया है |
| 8. | अनुसूची–दो के सरल क्रमांक 8 में यथा विनिर्दिष्ट सभी प्रकार के कपड़े | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए | – |
| 9. | अनुसूची–दो के सरल क्रमांक 9 में यथा विनिर्दिष्ट शक्कर एवं खांडसारी | अंशतः, इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए | – |

## प्ररुप

## घोषणा पत्र

(वाणिज्यिक कर विभाग की अधिसूचना क्रमांक .................... दिनांक ..................... के अधीन)

1. मैं ....................................... (व्यापारी का नाम), ............................................... (पता), छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 (क्र. 2 सन् 2005) के अधीन पंजीयन प्रमाण–पत्र क्रमांक (टिन) ................................ का धारक व्यापारी, एतद्द्वारा, घोषणा करता हूं, कि मैंने नीचे दिये गये विवरण अनुसार माल का क्रय ................................... (व्यापारी का नाम तथा पता) उक्त अधिनियम के अधीन जारी पंजीयन प्रमाण–पत्र क्रमांक (टिन) .......................... धारक व्यापारी से किया है।

2. मैं यह भी घोषणा करता हूं कि :–

   (एक) मेरे द्वारा क्रय किया गया माल आयरन एवं स्टील के निर्माण में कच्चा माल के रूप में उपयोग के लिये है।

   (दो) मेरे द्वारा निर्मित माल का विक्रय राज्य के अंदर अथवा अंतर–राज्यीय व्यापार एवं वाणिज्य के अनुक्रम में अथवा भारत के बाहर निर्यात के अनुक्रम में किया जायेगा।

### घोषणा–पत्र पर क्रय किए गए माल का विवरण

| क्रय आदेश / बिल / इन्वॉईस / कैश मेमो / चालान का विवरण | | क्रय किये गये माल का विवरण | मात्रा | मूल्य (रुपये) |
|---|---|---|---|---|
| क्रमांक | दिनांक | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

कुल मूल्य (अंकों में) रुपये .................(शब्दों में) रुपये ...................................... मात्र।

स्थान ............................. ...................................................

दिनांक .......................... व्यापारी के हस्ताक्षर एवं सील

* जो लागू न हो उसे काट दें।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी,** विशेष सचिव.

नया रायपुर, दिनांक 31 मार्च 2016

क्रमांक एफ–10–19/2016/वाक/पांच (35). —– भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ–10–19/2016/वाक/पांच (35) दिनांक 31–03–2016 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
**ए. पी. त्रिपाठी**, विशेष सचिव.

Naya Raipur, the 31st March 2016

NOTIFICATION

No. F-10-19/2016/CT/V(35). — In exercise of the powers conferred by Section 10 of Chhattisgarh Sthaniya Kshetra Me Mal Ke Pravesh Par Kar Adhiniyam, 1976 (No. 52 of 1976), the State Government, hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below, from payment of tax to the extent specified in column (3) of the said Schedule, subject to the restriction and conditions specified in column (4) of the said Schedule, for the period from 1-4-2016 to 31-3-2017, namely :—

SCHEDULE

| S. No. | Class of Goods | Extent of Exemption | Restriction and Conditions |
|---|---|---|---|
| (1) | (2) | (3) | (4) |
| 1. | Cane basket, drill rod and PVC casing pipe | Partly, so as to reduce the rate of tax to 1 percent | When the goods specified in column (2) are purchased by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) from another registered dealer after payment of tax under said Act for consumption or use in a local area |
| 2. | Hydrogenated vegetable oil not manufactured in India | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | - |
| 3. | Iron ore and coal | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | When such goods are purchased from a registered dealer within the State by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use as raw material in the manufacture of iron and steel and such manufactured goods are sold within the state or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India |
| 4. | Coal | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | When such goods are purchased within the State by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) against a declaration in appended form for use as raw material in the manufacture of iron and steel and such manufactured goods are sold within the state or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 5. | Iron ore, pig iron and steel scrap | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | When such goods are purchased from outside the State by a dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use in manufacture of iron and steel and such manufactured goods are sold within the state or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India |
| 6. | Iron ore pellet | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | When such goods are purchased by registered dealer under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) for use in manufacture of iron and steel and such manufactured goods are sold within the state or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India |
| 7. | Steel tubes | Partly, so as to reduce the rate of tax to 0.5 percent | When such goods are manufactured by dealer registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005) |
| 8. | All varieties of cloth as specified in serial No. 8 of Schedule-II | Partly, so as to reduce the rate of tax to 1 percent | - |
| 9. | Sugar and khandsari as specified in serial No. 9 of Schedule-II | Partly, so as to reduce the rate of tax to 1 percent | - |

FORM

DECLARATION

(Under C.T.D. Notification No. ............ Dated.....................)

1. I, ............................ (Name of dealer), ............................ (address), a dealer holding registration certificate No. ......................... under the Chhattisgarh Value added Tax Act, 2005 (No. 2 of 2005), hereby, declare that I have purchased the goods, particulars of which have been given below from ........................ (Name and address of the dealer) a dealer holding registration certificate No. ................. under the said Adhiniyam.

2. I, further declare that,-

(i) the goods being purchased are for use as raw material in the manufacture of iron and steel.

(ii) the manufactured goods shall be sold within the State or in the course of inter-state trade or commerce or in the course of export outside the territory of India.

**Particulars of goods purchased**

| Particulars of purchase order / bill / invoice / cash memo / challan | | Description of goods purchased | Quantity | Value (Rupees) |
|---|---|---|---|---|
| No. | Date | | | |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| | | | | |

Total value (in figures) Rupees. ............(in words) Rupees. .............. ................ only.

Place .....................

Date .......................

.. ................................

Signature and seal of the dealer

*Strike out whichever is not applicable.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Special Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2016.